#### Case name

Aruna Shanbaug's Right to Die with Dignity (2011)

#### Case

अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011) 10 एस. सी. सी. 756 और बाद के निर्णय

### **Brief Summary**

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार माना है कि देश में निष्क्रिय इच्छामृत्यु कानूनी है, बशर्ते कुछ सुरक्षा उपाय बनाए रखे जाएं। अरुणा शानबाग के मामले में, जो 1973 से लगातार वनस्पति अवस्था में थी, अदालत ने उसकी स्थिति की जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड नियुक्त किया। रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि वह एक स्थायी वनस्पति अवस्था में थी। अदालत ने कहा है कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। अदालत ने यह भी माना है कि निष्क्रिय इच्छामृत्यु भारतीय दंड संहिता या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत अपराध नहीं है।

## **Main Arguments**

इस मामले में मुख्य तर्क संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और गरिमा के साथ मरने के अधिकार के इर्द-गिर्द घूमते थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अरुणा शानबाग का वनस्पति अवस्था में बने रहना उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है और उसे शांति से मरने दिया जाना चाहिए। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि जीवन के अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार और गरिमा के साथ मरने का अधिकार शामिल है।

## **Legal Precedents or Statutes Cited**

- अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011) 10 एस. सी. सी. 756-ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एस. सी. सी. 303-भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार)-भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.)-भारतीय चिकित्सा परिषद (एम. सी. आई.) दिशानिर्देश (2018)

# Quotations from the court

गरिमा के साथ मरने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। - अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011) 10 एस. सी. सी. 756-"निष्क्रिय इच्छामृत्यु भारतीय दंड संहिता या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत अपराध नहीं है।" - अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011) 10 एस. सी. सी. 756-"यह अंततः अदालत को माता-पिता के रूप में यह तय करना है कि एक रोगी के सर्वोत्तम हित में क्या है जो लगातार वनस्पति अवस्था में है, हालांकि किरीबी रिश्तेदारों और अगले दोस्त की इच्छाओं और चिकित्सा व्यवसायियों की राय को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।" - ज्ञान सिह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एस. सी. सी. 303

### **Present Court's Verdict**

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि निष्क्रिय इच्छामृत्यु भारत में कानूनी है, बशर्ते कुछ सुरक्षा उपाय बनाए रखे जाएं। न्यायालय ने यह भी कहा है कि स्थायी वनस्पति अवस्था में एक रोगी के जीवन समर्थन को वापस लेने का निर्णय संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा माता-पिता के संरक्षक के रूप में लिया जाना चाहिए। अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया निर्धारित की है जब किसी अक्षम व्यक्ति के जीवन समर्थन को वापस लेने की अनुमति के लिए करीबी रिश्तिदारों या अगले दोस्तों या डॉक्टरों/अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा आवेदन दायर किया जाता है।

## **Conclusion**

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार माना है कि देश में निष्क्रिय इच्छामृत्यु कानूनी है, बशर्ते कुछ सुरक्षा उपाय बनाए रखे जाएं। न्यायालय ने यह भी कहा है कि स्थायी वनस्पति अवस्था में एक रोगी के जीवन समर्थन को वापस लेने का निर्णय संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा माता-पिता के संरक्षक के रूप में लिया जाना चाहिए। अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया निर्धारित की है जब किसी अक्षम व्यक्ति के जीवन समर्थन को वापस लेने की अनुमति के लिए करीबी रिश्तेदारों या अगले दोस्तों या डॉक्टरों/अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा आवेदन दायर किया जाता है।